न्यायालय उपखंण्ड अधिकारी निम्बाहेडा

पीठासीन अधिकारी :— रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 50 / 2023
GCMS No- 2023/104

श्रीमति बगदी बाई धर्मपत्नि हरलालजी जाति रेगर आयु वयस्क निवासी बाडी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

—प्रार्थीया ।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ.

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— 1— श्री योगेन्द्र सोलंकी — अधिवक्ता प्रार्थी

::निर्णय:: दिनांक 15.05.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके ग्राम बाडी पटवार हल्का बाडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 के खाता नं0 95 की आराजी नं0 569 रकबा 0.8700 हे0 लगानी 16 रुपये 53 पैसा, आराजी नं0 570 रकबा 0.2900 हेक्टेयर लगानी 5 रुपये 51 पैसा कुल किता 2 कुल रकबा 1.1600 हेक्टेयर कुल लगानी 22 रुपये 04 पैसा स्थित हैं। साक्ष्य में नकल जमाबंदीयां व मिलान क्षेत्रफल पेश है।
2. यह कि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीया के खातेदारी व कब्जे में चली आ रही हैं। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीया द्वारा पूर्व खेमराज पुत्र उदाजी, राजु पिता उदाजी श्रीमति रामीबाई पत्नि उदाजी जाति बलाई निवासी बाडी से पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 26 / 02 / 2015 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। प्रार्थीया जाति रेगर है तथा प्रार्थीया के समस्त पहचान के दस्तावेजों में भी जाति रेगर अंकित तथा पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 26 / 02 / 2015 में भी प्रार्थीया की जाति रेगर अंकित हैं, परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीया के नाम का नामांतरणकरण दर्ज करते समय जमाबंदी एवं राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से प्रार्थीया की जाति रेगर के बजाए बलाई दर्ज कर दिया, जो राजस्व कर्मचारीयों की गलती की वजह से हुआ है। जबकि प्रार्थीया के सभी पहचान के सभी सरकारी पहचान पत्रो व रेकार्ड में जाति रेगर चली रही हैं। इसलिए प्रार्थीया नवीन राजस्व रेकार्ड व जमाबंदी में प्रार्थीया की जाति बलाई के बजाए रेगर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में तरमीम कर इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (R.A.S.) निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:02:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी तहसीलदार द्वारा जवाब एवं अनुशंषा कर निवेदन किया तहसीलदार निम्बाहेड़ा से करवाई गई। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी रिपोर्ट मय पर्चा एवं दस्तावेज के इस कार्यालय को प्रस्तुत की। भू0अ0 निरीक्षक बाडी की रिपोर्ट अनुसार राजस्व गांव बाडी में खा0न0 95 में दर्ज आराजी न. 569,570 किता 2 रकबा 1.16 हे0 भूमि बगदी पत्नि हरलाल बलाई के नाम से 12/29 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया ने दिनांक 26.02.2015 को प्र.स. 1 जि.स. 156 प्रार्थीया की जाति रेगर दर्ज है। ना.स. 171 दायर करते वक्त सहवन से जाति रेगर दर्ज नही हुई। जमाबन्दी संवत् 2071–2074 में खा.न. 97 पर ना.स. 171 दिंनाक 20.03.2015 का नोट लगाते वक्त जाति का अकंन नही किया गया। अतः खातेदार की जाति बलाई की बजाय रेगर किया जाना उचित है।

4. हमने पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिसमे आधार कार्ड, राशन कार्ड, में इनकी जाति रेगर दर्ज है। एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। तहसीलदार द्वारा इनकी रिपोर्ट में बताया कि बाडी में खा0न0 95 में दर्ज आराजी न. 569,570 किता 2 रकबा 1.16 हे0 भूमि बगदी पत्नि हरलाल बलाई के नाम से 12/29 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया ने दिनांक 26.02.2015 को प्र.स. 1 जि.स. 156 प्रार्थीया की जाति रेगर दर्ज है। ना.स. 171 दायर करते वक्त सहवन से जाति रेगर दर्ज नही हुई। जमाबन्दी संवत् 2071–2074 में खा.न. 97 पर ना.स. 171 दिंनाक 20.03.2015 का नोट लगाते वक्त जाति का अकंन नही किया गया। अतः खातेदार की जाति बलाई की बजाय रेगर किया जाना उचित है।

आदेश

5. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि **जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 राजस्व ग्राम बाडी पटवार हल्का बाडी के नया खाता सं0 95 में प्रार्थिया श्रीमती बगदी बाई पत्नि हरलाल जाति बलाई के स्थान पर प्रार्थी खातेदार की जाति रेगर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।** शेष खातेदार बदस्तुर रहेगे। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2023 को कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बाडी लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

(रमेश सीरवी पुनाड़ियॉ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:02:03 IST
Reason: SelfAttested